



पत्र क्र./शिक्षक-शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30-1/प्रवेश/2024-25 <sup>4486</sup> रायपुर दिनांक 15.11.2024

डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम 2024-25  
द्वितीय चरण के आबंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए  
अंतिम चरण का प्रवेश की सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा प्री डी.एल.एड./बी.एड./बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. परीक्षा 2024 के प्राप्तांक के आधार दो चरण में किया गया है। दूसरे चरण के पश्चात् राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार जारी किया जाना है :-


क्र.	विवरण चरणवार	बी.एड./डी.एल.एड./बी.ए.बी.एड. व बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए
		दिनांक से दिनांक तक
1	पूर्व चरणों में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची दावा आपत्ति हेतु जारी करना	19.11.2024 को
2	तीसरी सूची जारी करना।	20.11.2024 को
3	जारी सूची से महाविद्यालय/संस्थाओं में प्रवेश।	20.11.2024 से 26.11.2024 तक
4	पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर चौथी सूची दावा आपत्ति हेतु जारी करना	28.11.2024 को
5	चौथी सूची जारी करना।	29.11.2024 को
6	चौथी सूची से महाविद्यालयों में प्रवेश देना।	29.11.2024 से 04.12.2024 तक

**अन्य निर्देश निम्ननुसार है :-**

- परिषद् द्वारा पत्र क्रमांक 3556 दिनांक 03.09.2024 को जारी प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया था कि दो चरण के बाद सीट रिक्त रहती है तो तीसरे चरण का आबंटन प्रक्रिया किया जायेगा एवं यह आबंटन प्रक्रिया प्रथम दो चरणों के अनुसार ही किया जायेगा।
- इस चरण में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिये गये विकल्प फार्म में महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर जारी किया जायेगा। छ.ग. बी.एड. प्रवेश नियम 2006 डी.एड. प्रवेश नियम 2008 व बी.ए.बी.एड./बी.एस.सी.बी.एड. प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन Active है उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जायेगा।
- इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फार्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आबंटित नहीं हुआ है उनके आवेदन पर इस चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आबंटित हुई थी परन्तु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात् महाविद्यालय आबंटित नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जायेगा।
- किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आबंटन प्रक्रिया में नहीं आयेगा। इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था परन्तु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आबंटन निरस्त नहीं कराया है उनके नाम आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे एवं चौथी सूची में आयेगा उन्हें आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
6. उपरोक्त बिन्दुओं से स्पष्ट हों कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन Active है उनके आवेदन पर विचार किया जायेगा।
7. शेष नियम शर्तें पूर्ववत् ही रहेंगे।

स्पष्ट है कि चरण में कोई भी विकल्प फार्म नहीं भरवाये जायेंगे। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटित होगा उन्हें निर्धारित तिथि को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।



(जे.पी.स्थ)

अतिरिक्त संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर

पृ. क्र./शिक्षक-शिक्षा/आनलाइन आबंटन/30-1/प्रवेश/2024-25/4487 रायपुर दिनांक 14/11/2024  
प्रतिलिपि -

1. सचिव, छ.ग शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. कुलसचिव, ..... विश्वविद्यालय ..... को सूचनार्थ।
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स रायपुर को सूचनार्थ।
5. सर्व सूचनार्थ।



अतिरिक्त संचालक

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग. रायपुर